<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-10022025-260879 CG-MH-E-10022025-260879

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] No. 92] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# अधिसूचना

मुंबई, 6 फरवरी, 2025

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/226.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, अध्याय-IIIक के बाद और अध्याय-IV से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

989 GI/2025 (1)

#### "अध्याय - IIIख

# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के संबंध में जिम्मेदारी

- 16ग. (1) बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता हो, वह व्यक्ति यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक का इस्तेमाल करे [फिर चाहे उसने वे टूल्स खुद बनाए हों या वह तकनीक खुद बनाई हो और या फिर उसने उन्हें दूसरे सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) से खरीदा हो, और फिर भले ही वह अपने कामकाज के लिए और अपने निवेशकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल किसी भी हद तक करता हो या किसी भी कार्य के लिए करता हो], तो ऐसे में वह-
  - क) समस्त प्रक्रियाओं के दौरान निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स के डाटा (जिसमें वह डाटा भी शामिल है, जो उसके पास फिड्यूशरी कैपेसिटी में रखा हो) को गोपनीय रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए और उससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा:
  - ख) उन टूल्स और तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाले नतीजों (जिनके आधार पर वह कार्रवाई आदि करता हो या जिन्हें वह अमल में लाता हो) के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा; और
- ग) लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
  (2) बोर्ड, उप-विनियम (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें इन विनियमों के अध्याय-V के अनुसार की जा सकने वाली कार्रवाई भी शामिल है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ. -

- क) "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले टूल्स एवं तकनीक" में ऐसा कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक्जिक्यूटेबल सिस्टम शामिल हो सकता है या उनमें से कोई दो या सभी शामिल हो सकते हैं, जो बोर्ड द्वारा विनियमित (रेग्यूलेटेड) व्यक्ति निवेशकों / स्टेकहोल्डर्स को दे या फिर वह स्वयं आंतरिक स्तर पर उसका (उनका) इस्तेमाल निवेश और ट्रेडिंग को सहज बनाने के लिए करे और या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी (निवेश योजना) बताने और निवेश सलाह देने के लिए करे या अपने कार्य करने के लिए करे (जिसमें प्रावधानों आदि के पालन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं); और जिनके बारे में यह जाहिर हो रहा हो कि वे आम जनता को दिए जा रहे प्रोडक्ट ही हैं या फिर उनका इस्तेमाल प्रावधानों आदि का पालन करने के लिए किया जा रहा है या फिर उनका इस्तेमाल प्रबंधन (मैनेजमेंट) या कारोबार से जुड़े दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है;
- ख) शब्दों "बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता हो उस व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो विनियम 16क के स्पष्टीकरण-1 में बताया गया है।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./949/2024-25]

## पाद टिप्पण:

 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित हुए थे।

- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
  - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
  - ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
  - ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
  - घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
  - ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
  - च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा
  - ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा
  - झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
  - ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59, द्वारा
  - ट) 1 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/आईएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91, द्वारा
  - ठ)
     29 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024,

     अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201, द्वारा
  - ड) 5 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/216, द्वारा

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th February, 2025

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/226.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: –
- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, after Chapter IIIA and before Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely, -

#### "CHAPTER IIIB

#### USAGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

#### Responsibility for the use of artificial intelligence.

- 16C. (1) Any person regulated by the Board who uses artificial intelligence and machine learning tools and techniques, either designed by it or procured from third-party technology service providers, irrespective of the scale and scenario of adoption of such tools for conducting its business and servicing its investors, shall be solely responsible
  - a) for the privacy, security and integrity of investors' and stakeholders' data including data maintained by it in a fiduciary capacity throughout the processes involved;
  - b) for the output arising from the usage of such tools and techniques it relies upon or deals with; and
  - c) for the compliance with applicable laws in force.
- (2) The Board may, in case of violation of the provisions of sub-regulation (1), take such action as it may deem fit including action under Chapter V of these regulations.

### **Explanation**: For the purpose of this regulation, -

- a) the expression "artificial intelligence and machine learning tools and techniques" may include any application or software program or executable system or a combination thereof, offered by the person regulated by the Board to investors/stakeholders or used internally by it to facilitate investing and trading or to disseminate investment strategies and advice or to carry out its activities including compliance requirements and the same are portrayed as part of the products offered to the public or under usage for compliance or management or other business purposes:
- b) the expression "person regulated by the Board" shall have the same meaning as provided under Explanation 1 to regulation 16A."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./949/2024-25]

#### Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:
  - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
  - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.

c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.

- d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
- e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
- f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
- h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.
- i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- j) November 17, 2021,by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.
- k) August 1, 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.
- l) August 29, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/201.
- m) December 5, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/216.